

चारों सभों पर है। सेविकायुक्त प्रबन्ध और उसके अंकुश का महत्व अपरिहार्य है। अंकुश द्वारा सेविकायुक्त प्रबन्ध की कमियों तथा सुधार की संभावनाओं की और सुरक्षा से इंगित किया जा सकता है जिससे एक सक्षम प्रबन्ध का संगठन होना है। सेविकायुक्त अंकुश संस्था के कर्मचारियों को पूरी क्षमता से कार्य करने की प्रेरणा देता है तथा अधिकारियों की दायित्व पूर्णता का मूल्यांकन करता है।

अंकुश संगठनों एक संस्थाओं में जहाँ अनियमितताओं को प्रकट में लाता है। फलस्वरूप इसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। अंकुश संबंधी तथा सेविकायुक्त प्रबन्ध पर नियंत्रणकारी मन्त्र है, इसलिए प्रबन्ध में लापरवाही का उदय नहीं हो पाता है। प्रबन्धकों की दायित्व क्षमता के आकलन के लिए भी अंकुश अनेक पैमाने हैं। वर्तमान में सेवा-वैधानिकीकरण के कारण औद्योगिक नीति प्रबन्ध व्यवस्था तथा सिद्धान्तों में जो द्रुत परिवर्तन हो रहे हैं इससे भी अंकुश के महत्व में वृद्धि हुई है। अंकुश द्वारा प्रबन्ध-नीतियों की सारगर्भित समीक्षा और आलोचना से सेविकायुक्त प्रबन्ध-व्यवस्था लाभान्वित हुई है।

अंकुश ने सेविकायुक्त प्रबन्ध की उपस्थिति के प्रति कर्मचारियों के दृष्टिकोण को उसके प्रति सहयोग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
सेविकायुक्त-अंकुश कार्य करने के-उत्पत्ति-मन्त्र

विभिन्न संस्थाओं की प्रकृति अलग-अलग होती है, इसलिए उनकी संगठन व्यवस्था के अलग-अलग ही अलग-अलग संस्थाओं के लिए अंकुश की कार्य विधि विभिन्न की जाती है। गरीब कार्यविधि अंकुश-कार्यक्रम कही जाती है। विभिन्न संस्थाओं में इस कार्यक्रम-निर्धारण के तन्त्र विचार-मिथ होनी है। प्रविष्ट मनोविज्ञानी डेल कोउर द्वारा एक आदर्श सेविकायुक्त

अंकेशण कार्यक्रम के विभिन्न तरण निर्देश प्रकार बनवाए गए हैं -

(1) कार्मिक संवेधान तथा विचार -

संस्थान के कर्मचारियों के लिए उचित प्रवृत्ति वापरणाकी जाती है। उनके चहुँमुखी विकास के लिए प्रगतिशील पत्र उठाए जाते हैं तथा समय-समय पर संस्थान की आवश्यकता, विकास और सुधार के लिए कर्मियों की भुली-चमन, प्राविष्टता एवं उनकी पदोन्नतिकी आलोचनात्मक समीक्षा की जाती है।

(2) कर्मियों की आवश्यकता का अनुमान - से विपरीत अंकेशण संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार कर्मचारियों की संख्या में कमी या वृद्धि की सिफारिश करके कर्मचारी-आयोजन को वैज्ञानिक दिशा देगए।

(3) समन्वय और संगठन - विभागों के महम पारस्परिक समन्वय तथा उचित सम्मेषण की व्यवस्था की जाती है जिससे प्रगिकों में परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो सके और उनके कार्यों में समन्वय उत्पन्न हो कर व्यवस्था-संगठन की स्थापना हो सके।

(4) प्रम नीतियाँ - अंकेशण की इस विधा में संस्था की उन्नतिके लिए तथा समस्याओं को सुलभताय की दिशा में प्रम-संचों से सलाह लेकर कर्मचारियों के लिए उचित नैतत्व प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है और इसके लिए कर्मचारी प्रशासन तथा प्रम नीतियों जैसे सामूहिक सौदे करणी और प्रम-प्रवृत्ति गिरा आदि के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश दिया जाता है।

(5) कार्य के प्रति प्रगिक को रुचि के लिए प्रेरणा - अंकेशण ऐसे सुकान देते हैं जिससे प्रगिकों को अपने कार्य के प्रति रुचि बनवाए रखने की प्रेरणा प्राप्त होती है।

(6) शोध एवं योजना - से विपरीत अंकेशण के द्वारा कर्मियों के विकास के लिए रागहन क्षेत्रों में कमी अनुसंधान और अभिनवीकरण की योजना का निर्माण करके उन्हें अधिक सक्षम बनाने का प्रयास किया जाता है जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सके और गुणात्मकता का स्तर उत्कृष्ट किया जा सके।

The End